न्यायालय जिला कलक्टर, हनुमानगढ़

(3)

पीठासीन अधिकारी :–रूक्मणि रियार सिहाग आई.ए.एस.

विविध प्रकरण संख्या–68/2023

राजेन्द्र कुमार पुत्र श्री भागीरथ जाति जाट, निवासी सूरांवाली, तहसील पीलीबंगा, जिला हनुमानगढ़।

––प्रार्थी

बनाम

अधिशाषी अभियन्ता जल संसाधन खण्ड द्वितीय, हनुमानगढ़, तहसील व जिला हनुमानगढ़।

––अप्रार्थी

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 24 राजस्थान सिंचाई तथा जल निकारा अधिनियम 1954

उपस्थित :–1. श्री लालचन्द वर्मा व कैलाश कुमार धामू अधिवक्ता ––प्रार्थी
2. श्री भवानी सिंह निर्बाण अधिवक्ता ––अप्रार्थी

–:निर्णय:– **दिनांक :–11..07.2023**

प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 24 राजस्थान सिंचाई एवं जल निकास अधिनियम 1954 के तहत प्रस्तुत कर अप्रार्थी द्वारा पारित आक्षेपित आदेश क्रमांक राजस्व/2023/1240 दिनांक 07.06.2023 को विधि विरूद्ध, क्षेत्राधिकारिता रहित व सिंचाई अधिनियम के आज्ञापक प्रावधानों के विपरीत होने का कथन कर अपास्त किये जाने का निवेदन किया है। प्रार्थना पत्र में वर्णित कथनों के अनुसार संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी व प्रार्थी के परिवार की खातेदारी कृषि भूमि चक 7 एच.डी.पी. में स्थित है तथा जब से चक 7 एच.डी.पी. में नहरी पानी से सिंचाई सुविधा उपलब्ध हुई है, प्रार्थी की कृषि भूमि की सिंचाई हेतु पत्थर नंबर 11/248 (13) के किला नंबर 5–6–15–16–25 में खाला चालू रहा है, जो वर्तमान में भी चालू है तथा इस खाला से प्रार्थी की भूमि में सिंचाई व्यवस्था चालू है। अप्रार्थी ने चक के कुछ राजनैतिक रूप से प्रभावशाली लोगो के दबाव में आकर अपने आदेश दिनांक 18.01.2019 के अन्तर्गत राजस्थान जल सिंचन एवं निकास अधिनियम सन् 1955 की धारा 21 से 28 के अन्तर्गत प्रावधित आज्ञापक प्रावधानों के विपरीत पत्थर नंबर 11/248 (13) के किला नंबर 5–6–15–16–25 में स्वीकृत खाला को निरस्त कर प्रार्थी की कृषि भूमि पत्थर नंबर 10/247 (4) के किला नंबर 21 से 25 में दक्षिणी सिरे पर खाला स्वीकृत करने के आदेश पारित किये। इस आदेश के विरूद्ध प्रार्थी व अन्य प्रभावित काश्तकारों ने अधीक्षण अभियंता जल संसाधन वृत हनुमानगढ़ के समक्ष अपील प्रस्तुत की जो दिनांक 05.07.2019 को खारिज हुई। प्रार्थी व अन्य ने उक्त दोनों निर्णयों दिनांक 18.01.2019 व दिनांक 05.07.2019 को चुनौती देते हुए माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर के समक्ष एस.बी. सिविल रिट याचिका सख्या 10163/2019 में चुनौती दी तथा उक्त दोनो आदेशों को उक्त रिट याचिका में पारित अन्तरिम आदेश दिनांक 12.07.2019 के अन्तर्गत स्थगित किया गया व पत्थर नंबर 11/248 (13) के किला नंबर 5–6–15–16–25 में चालू खाला (Functional water course) के संबंध में यथास्थिति बनाये रखने के आदेश पारित किये गये। उक्त रिट याचिका में माननीय उच्च न्यायालय ने दिनांक 20.12.2022 को निर्णय पारित करते हुये प्रार्थी व अन्य की रिट याचिका स्वीकार करते हुए उक्त दोनों आदेश दिनांक 18.01.2019 व दिनांक 05.07.2019 को निरस्त करते हुए यह प्रतिपादित किया कि प्रार्थी की भूमि पत्थर नंबर 10/247 (4) के किला नंबर

जिला कलक्टर
हनुमानगढ़

(4)

21 से 25 में अवाप्ति की कार्यवाही किये बिना खाला मंजूर करना विधि विपरीत है तथा इस संबंध मे जल सिंचन एवं निकास अधिनियम 1955 के आज्ञापक प्रावधानों की पालना आवश्यक है तथा यह प्रकरण इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया कि अप्रार्थी अवाप्ति की कार्यवाही से संबंधित आज्ञापक प्रावधानो की पालना करते हुये सभी पक्षकारों को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुये विधि अनुसार निर्णय पारित करे।

यह प्रकरण रिमाण्ड होकर आने पर अप्रार्थी ने माननीय उच्च न्यायालय के स्पष्ट आदेश के बावजूद प्रार्थी की कृषि भूमि पत्थर नंबर 10/247 (4) के किला नंबर 21 से 25 में अवाप्ति की कार्यवाही किये बिना दिनांक 10.04.2023 को आदेश पारित कर खाला खुदवाने के आदेश पारित कर दिये। प्रार्थी ने उक्त आदेश दिनांक 10.04.2023 के विरूद्ध अधीक्षण अभियंता जल संसाधन वृत हनुमानगढ के समक्ष अपील संख्या 38/2023 प्रस्तुत की जो दिनांक 17.05.2023 को स्वीकार हुई तथा अप्रार्थी द्वारा पारित आदेश दिनांक 10.04.2023 माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशो के विपरीत होने से व क्षेत्राधिकारिता रहित होने से खारिज किया व अप्रार्थी को यह स्पष्ट निर्देश दिये कि वह माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 20.12.2022 मे पारित निर्देशो का ध्यानपूर्वक अवलोकन कर उसी अनुसार कार्यवाही/पालना सुनिश्चित करे। अप्रार्थी ने अधीक्षण अभियंता जल संसाधन वृत हनुमानगढ़ के उक्त आदेश के बावजूद व माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय में दिये गये निर्देशों के अनुसार प्रार्थी की भूमि में अवाप्ति की कार्यवाही किये बिना एवं प्रार्थी की भूमि में खाला में आने वाली भूमि का मुआवजा सक्षम न्यायालय द्वारा तय करवाये बिना पत्थर नंबर 10/247 (4) के किला नंबर 21 से 25 में खाला खुदवाने का आक्षेपित आदेश क्रमांक राजस्व/2023/1240 दिनांक 07.06.2023 को पारित किया है। प्रार्थी ने उक्त आदेश दिनांक 07.06.2023 को चुनौती देते हुये इस न्यायालय के समक्ष यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर उक्त आदेश को गलत, विधि विरूद्ध, एकपक्षीय क्षेत्राधिकारिता रहित एवं सिंचाई अधिनियम के आज्ञापक प्रावधानों के विपरीत होने से निरस्त किये जाने का निवेदन किया है। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में यह कथन भी किये है कि अप्रार्थी ने आक्षेपित आदेश पारित करने से पूर्व प्रार्थी व अन्य प्रभावित काश्तकारों को कोई सुनवाई का अवसर नहीं दिया व ना ही अप्रार्थी ने माननीय उच्च न्यायालय द्वारा एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 10163/2019 में पारित निर्णय दिनांक 20.12.2022 में दिये गये निर्देशों की पालना की। अप्रार्थी ने प्रार्थी की कृषि भूमि पत्थर नंबर 10/247 (4) के किला नंबर 21 से 25 में खाला मंजूर करने से पूर्व अधिग्रहण की कार्यवाही नही की है व ना ही कोई मुआवजा प्रार्थी को दिलवाने के संबंध में कोई आदेश पारित किया है। अप्रार्थी को प्रार्थी की सहमति के बिना प्रार्थी की खातेदारी भूमि में खाला स्वीकृत करने का अधिकार नहीं है तथा अप्रार्थी को मौका पर चल रहे खाला को परिवर्तित करने का कोई अधिकार नही है। मौका पर विद्यमान व चालू खाला के संबंध में किसी प्रकार का परिवर्तन करने का अधिकार केवल जिला कलक्टर को ही है। इस कारण यह आदेश प्रारम्भतः ही शून्य है। यह भी तर्क दिया कि राजस्थान उपनिवेशन (सामान्य उपनिवेश) शर्ते 1955 की शर्त संख्या 8 (1) के अन्तर्गत भी यह शक्तियां जिला कलक्टर को ही है तथा उक्त विधिक स्थित अनुसार अप्रार्थी द्वारा पारित आक्षेपित आदेश दिनांक 07.06.2023 क्षेत्राधिकारिता न होने के दोष से ग्रसित है। इस आदेश से एक चालू खाला को निरस्त कर दिये जाने व मौका पर अविद्यमान खाला मंजूर हो जाने से प्रार्थी की सिंचाई सुविधा समाप्त हो जायेगी जिससे प्रार्थी को अपूर्णीय क्षति होगी। उक्त आधारों पर आक्षेपित आदेश के क्रियान्वयन को स्थगित किये जाने का निवेदन किया।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया तथा प्रार्थी के स्थगन प्रार्थना पत्र पर प्रथम दृष्टया मामला पाये जाने पर उक्त आदेश दिनांक 07.06.2023 की क्रियान्विती को आदेश दिनांक 08.06.2023 के अन्तर्गत स्थगित किया गया व अप्रार्थी को तलब किया गया।

अधिवक्ता अप्रार्थी की ओर से दिनांक 05.07.2023 को जबाव प्रस्तुत कर इस तथ्य को स्वीकार किया गया कि चक 7 एच.डी.पी. के पत्थर नंबर 11/248 (13) के किला नंबर 5, 6, 15, 16, 25 में खाला चालू है तथा माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्देशों के संबध मे भी स्वीकारोक्ति की। अप्रार्थी ने यह कथन किये कि उनके कार्यालय के अभिलेख अनुसार दिनांक 27.09.1989 के आदेश के अन्तर्गत पत्थर नंबर 10/247 (4) के किला नंबर 21 ता 25 मे पत्थर

जिला कलक्टर
हनुमानगढ

नाका 10/248 से पत्थर नाका 11/248 तक का खाला स्वीकृत हो चुका था लेकिन इस आदेश के विरूद्ध गहन तलाश के बाद यह तथ्य ज्ञान में नहीं आया कि उक्त आदेश दिनांक 27.09.1989 के विरूद्ध अपील संख्या 100/90 अधीक्षण अभियंता सिंचाई वृत हनुमानगढ के समक्ष प्रस्तुत हुई थी तथा इस अपील में पारित निर्णय में आदेश क्रमांक 976 दिनांक 29.01.1991 के अन्तर्गत प्रार्थी की भूमि मे से पत्थर नंबर 10/248 से 11/248 तक किला नंबर 21 ता 25 में यह खाला निरस्त कर पत्थर नंबर 11/249 से 11/248 तक किला नंबर 5, 6, 15, 16, 25 में यह खाला बहाल रखा गया लेकिन इस आदेश के अनुसरण में चक प्लान में दुरूस्ती नहीं हो सकी। यह आदेश कई वर्ष पूर्व भूमि मालिको की सहमति से हुये थे तथा इसी आदेश के अनुसार मौका पर मुरब्बा नंबर 11/248 के किला नंबर 5, 6, 15, 16, 25 में जलमार्ग चालू है व बारियां भी इसी जलमार्ग मे बंधी हुई है। उक्त आदेश दिनांक 29.01.1991 का संज्ञान अप्रार्थी को पूर्व में नहीं था, ना ही अपीलाण्ट को इसका ज्ञान था। प्रार्थी द्वारा मुरब्बा नंबर 11/248 के किला नंबर 5, 6, 15, 16, 25 में जिस जलमार्ग को स्वीकृत करने की मांग की जा रही है। उक्त जलमार्ग 1991 से ही स्वीकृत है। केवल भूलवश दुरूस्ती नहीं होने के कारण उक्त विवाद प्रारम्भ हुआ है। उक्त कथन करते हुए आक्षेपित आदेश दिनांक 07.06.2023 को प्रभावी रखना उचित नहीं होने व आदेश दिनांक 29.01.1991 के अनुसरण मे ही चक प्लान में दुरूस्ती किया जाना उचित होने के कथन किये।

दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी का यह तर्क है कि अप्रार्थी द्वारा पारित आक्षेपित आदेश माननीय उच्च न्यायालय द्वारा एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 10163/2019 में पारित निर्णय व निर्देश दिनांक 20.12.2022 के विपरीत है। प्रार्थी की कृषि भूमि पत्थर नंबर 10/247 (4) के किला नंबर 21 से 25 में राजस्व अभिलेख में खाला स्वीकृत नहीं है तथा उसकी भूमि में खाला स्वीकृत करने का अधिकार अप्रार्थी को नहीं है बल्कि राजस्थान जल सिंचन एवं निकास अधिनियम की धारा 21 से 28 के अन्तर्गत किसी खातेदार द्वारा अपनी भूमि में खाला स्वीकृत किये जाने में असहमति प्रकट करने पर मात्र जिला कलक्टर को ही अधिकारिता है। अपने इस तर्क के समर्थन में न्यायदृष्टान्त डी.एन.जे. 2016 (3) पृष्ठ 1009 प्रस्तुत किया।

विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थी ने अपने जवाब में प्रस्तुत तथ्यों को दोहराते इस स्थिति को स्वीकार किया है कि मुरब्बा नंबर 10/247 (4) के किला नंबर 21 से 25 में जिस आदेश दिनांक 27.09.1989 के अन्तर्गत खाला स्वीकृत किया गया था, वह आदेश अधीक्षण अभियंता सिंचाई वृत हनुमानगढ के आदेश दिनांक 29.01.1991 के अन्तर्गत निरस्त हो चुका व पत्थर नंबर 11/248 (13) के किला नंबर 5, 6, 15, 16, 25 में खाला स्वीकृत हुआ है तथा यह खाला राजस्व अभिलेख में भी दर्ज है। अप्रार्थी ने इस आदेश दिनांक 29.01.1991 कई वर्ष पूर्व पारित होने के कारण उसके संज्ञान में न होने के कारण आक्षेपित आदेश दिनांक 07.06.2023 पारित कर दिये जाने की स्थिति को स्वीकार किया है।

दोनों पक्षों की ओर से प्रस्तुत तर्कों व पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखीय साक्ष्य से यह स्थिति स्पष्ट हुई है कि अप्रार्थी ने पूर्व में एक आदेश दिनांक 27.09.1989 के अन्तर्गत पत्थर नंबर 10/247 (4) के किला नंबर 21 ता 25 में पत्थर नाका 10/248 से पत्थर नंबर 11/248 तक का खाला स्वीकृत किया था तथा पत्थर नंबर 11/248 से पत्थर नंबर 11/249 तक किला नंबर 5, 6, 15, 16, 25 में स्वीकृत शुदा खाला को निरस्त किया। यह आदेश कालांतर में अधीक्षण अभियंता हनुमानगढ के आदेश दिनांक 29.01.1991 के अन्तर्गत निरस्त हुआ व पूर्व की स्थिति बहाल किये जाने के आदेश दिये गये। इसी आदेश अनुसार आज तक सिंचाई व्यवस्था चालू रही है। प्रार्थी द्वारा उक्त आदेश दिनांक 29.01.1991 के अस्तित्व में रहते हुए विपरीत आदेश दिनांक 18.01.2019 को पारित किया जिसके विरूद्ध अधीक्षण अभियंता जल संसाधन वृत हनुमानगढ़ के समक्ष अपील हुई जो दिनांक 05.07.2019 को खारिज हुई। इन दोनो आदेशों को प्रार्थी व अन्यों ने एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 10163/2019 में चुनौती दी तथा माननीय उच्च न्यायालय ने भी जल सिंचन एवं निकास अधिनियम 1955 के आज्ञापक प्रावधानों के अनुसार भूमि अवाप्ति की कार्यवाही किये बिना प्रार्थी की भूमि में खाला मंजूर करना विधि विपरीत माना है तथा इन प्रावधानों को पालना करते हुए विधिसम्मत आदेश पारित करने के लिए मामला को रिमाण्ड किया। किसी

कलक्टर
हनुमानगढ़

(6)

खातेदार द्वारा खाला स्वीकृत किये जाने में असहमत होने पर अधिशाषी अभियंता को खाला स्वीकृत करने की अधिकारिता नहीं है तथा राजस्थान जल सिंचन एवं निकास अधिनियम 1955 की धारा 21 से 28 के प्रावधानों के अनुसार जिला कलक्टर ही समुचित मुआवजा निर्धारित करते हुए जलमार्ग को स्वीकृत करने की अधिकारिता रखता है। इस संबंध में प्रार्थी पक्ष की ओर से प्रस्तुत न्याय दृष्टान्त डीएनजे 2016 (3) पृष्ठ 1009 में प्रतिपादित सिद्धांतों से सम्बल प्राप्त होता है। अप्रार्थी द्वारा अपने जवाब में पूर्ववर्ती आदेश दिनांक 29.01.1991 के प्रभावशील रहने की स्थिति में भी प्रार्थी की भूमि में प्रश्नगत खाला पूर्ववर्ती आदेश का संज्ञान न होने के कारण पारित किया जाना स्वीकार किया गया है। ऐसी स्थिति में भी अप्रार्थी द्वारा पारित आक्षेपित आदेश दिनांक 07.06.2023 विधिसम्मत व अधिकारितापूर्ण होना नहीं पाया जाता। फलस्वरूप प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत यह प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है तथा अप्रार्थी द्वारा पारित आक्षेपित आदेश दिनांक 07.06.2023 को प्रभाव में रखा जाना न्यायोचित नहीं है।

अतः प्रार्थना–पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाता है तथा अप्रार्थी द्वारा पारित आक्षेपित आदेश क्रमांक राजस्व/2023/1240 दिनांक 07.06.2023 गलत व विधि विरूद्ध एवं क्षेत्राधिकारितारहित होने के कारण अपास्त किया जाता है तथा निर्देशित किया जाता है कि अधिक्षण अभियन्ता सिंचाई खंड, हनुमानगढ़ संगम द्वारा पारित संशोधित आदेश दिनांक 29.01.1991 के अनुसार कार्यवाही संपादित की जावे। पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 11.07.23 को लिखाया जाकर सरे ईजलास में सुनाया गया।

जिला कलक्टर
हनुमानगढ़